संख्याः 241 /कार्मिक–2/2004

प्रेषक,

डा0 आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 17 फरवरी, 2004

विषयः– अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण ।

महोदय,

शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाये। अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु समय–समय पर शासनादेश एवं समयसारणी निर्गत की गयी है। यह अनुभव किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में तत्परता नहीं बरती जा रही है। और इस संबंध में निर्गत समयसारणी का भी कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों के निस्तारण में बहुत विलम्ब हो जाता है। बहुत से मामलों में लम्बे समय से पुरानी घटनाओं/आरोपों के संबंध में अनुशासनिक जांच चलती रहती है। विलम्ब से जांच करने में इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायं और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जाये। अनुशासनिक जांच के लम्बे समय तक चलते रहने से आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के सेवा संबंधी मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे सम्बन्धित आरोपित सरकारी सेवक में कुंठा उत्पन्न होती है और काडर मैनेजमेन्ट में भी समस्याऐं उत्पन्न होती हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों की सतत समीक्षा प्रत्येक माह अवश्य कर लें। और जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में अधिक विलम्ब हो रहा हो उनका निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में आरोप पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत तैयार कर लिया जायं और निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ही अपचारी सेवक को आरोप पत्र तामील कर दिया जाये। जांच अधिकारी को भी यह निर्देशित किया जाये कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जांच आख्या पूर्ण करके उपलब्ध करायें।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव,